प्रेस नोट
दिनांक 07.04.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया गया सुपुर्दः–

जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत आवेदिका असरेखा मौर्य पत्नी सुरेंद्र मौर्य निवासी जलालपुर चढ़ौवा द्वारा थाना वजीरगंज पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र शिवांश मौर्य (उम्र लगभग 13 वर्ष), जो कक्षा 7 का छात्र है एवं एक्सीलेंट स्कूल बधवा में पढ़ाई करता है, दिनांक आज समय लगभग 04:00 बजे सायं घर से साइकिल लेकर कहीं चला गया है और वापस नहीं आया है। आवेदिका द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ दिन पूर्व बालक द्वारा अपनी मां के पर्स से ₹100 चोरी कर लिए गए थे, जिस पर उसे डांट–फटकार कर समझाया गया था। दिनांक आज पुनः जब बालक स्कूल गया हुआ था, तो उसके घर पर टंगे कपड़ों की तलाशी लेने पर उसमें से ₹200 बरामद हुए। विद्यालय से वापस आने के उपरांत बालक ने जब अपने कपड़ों में उक्त रुपये नहीं पाए, तो उसे यह आभास हो गया कि उसकी मां को पुनः उसके द्वारा पैसे चोरी किए जाने की जानकारी हो गई है। इसी भय एवं संकोच के कारण वह घर से बिना बताए साइकिल लेकर चला गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर बालक की तलाश हेतु टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सक्रियता से कार्यवाही करते हुए संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा पवन सिंह आर्मी ढाबा, विक्रमजोत जनपद बस्ती के पास से बालक शिवांश मौर्य को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा अपील:

अभिभावक अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें तथा किसी भी परिस्थिति में बच्चों को घर छोड़कर जाने जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। किसी भी बालक/बालिका के संदिग्ध अवस्था में मिलने पर तत्काल पुलिस अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.04.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने वाले 06 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–099/2026 धारा 103(1),191(2),191(3),61(2)क,115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 06 आरोपी अभियुक्तगण–01. अंकित उर्फ छल्लू यादव पुत्र भरतलाल यादव, 02. शोभा देवी पत्नी भरतलाल यादव, 03. नेहा यादव पुत्री भरतलाल यादव 04. अंजली यादव पुत्री भरतलाल 05. भरत यादव पुत्र कृपाराम यादव, निवासीगण ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को पटपरगंज पुल के पास तथा अभियुक्त राहुल यादव पुत्र भरतलाल को तुलसीपुर मांझा गुरूशरन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अदद ट्रैक्टर महेन्द्र 365 डीआई लाल रंग व आलाकत्ल बांका बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.04.2026 को वादी उमेश यादव पुत्र लखराम यादव निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि कि खेत के रास्ते को लेकर हुए विवाद में विपक्षी राहुल यादव व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके भाई रामरंग यादव के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि राहुल यादव द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर रामरंग यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा भी लाठी–डंडा व धारदार हथियार से प्रहार किया गया। घायल रामरंग यादव को उपचार हेतु सीएचसी नवाबगंज से जिला अस्पताल गोण्डा रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.04.2026 को अभियुक्तगण 1. अंकित उर्फ छल्लू यादव पुत्र भरतलाल यादव, 2. शोभा देवी पत्नी भरतलाल यादव, 3. नेहा यादव पुत्री भरतलाल यादव 4. अंजली यादव पुत्री भरतलाल 5. भरत यादव पुत्र कृपाराम यादव निवासीगण ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को पटपरगंज पुल के पास से तथा आज दिनांक 07.04.2026 को अभियुक्त राहुल यादव पुत्र भरतलाल यादव निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को तुलसीपुर मांझा गुरूशरन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल एक अदद ट्रैक्टर महेन्द्र 365 डीआई लाल रंग व आलाकत्ल बांका बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नवाबगंज द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. राहुल यादव पुत्र भरत लाल यादव नि0 ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. अंकित उर्फ छल्लू यादव पुत्र भरतलाल यादव नि0 ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. भरत यादव पुत्र कृपाराम यादव नि0 ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. शोभा देवी पत्नी भरतलाल यादव नि0 ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

05. नेहा यादव पुत्री भरतलाल यादव नि0 ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
06. अंजली यादव पुत्री भरतलाल नि0 ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1. आलाकत्ल ट्रैक्टर महिन्द्रा 365 लाल रंग
2. आलाकत्ल बांका

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 099/2026 धारा 103(1), 191(2), 191(3), 61(2)क, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज।
02. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
03. उ0नि0 गौरव सिंह।
04. हे0कां0 रौशन सिंह।
05. हे0कां0 आनन्द सिंह।
06. कां0 राम अवतार।
07. कां0 रितेश खरवार।
08. म0कां0 नीलम देवी।
09. म0कां0 किरन चौहान।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.04.2026</u>

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना कटरबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–77/26, धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र चोखे निवासी बोटन पुरवा असरना थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा व एक बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर पैनल व 01 बोरी धान बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

प्रार्थी पंकज पुत्र सुरेश निवासी ग्राम असरना बोटन पुरवा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गई कि उसका परिवार दिल्ली में निवास करता है तथा पैतृक घर बंद रहता है। लगभग 03 माह पूर्व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके घर से 01 अदद सौर ऊर्जा पैनल, 08 बोरी धान, 01 जोड़ी सोने की झुमकी व 01 अदद सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा काफी खोजबीन के उपरांत दिनांक 06.04.2026 को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त चोरी की घटना को ननके उर्फ विशाल पुत्र चोखे, अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 07.04.2026 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र चोखे निवासी बोटन पुरवा असरना थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा व एक बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से 01 अदद सोलर पैनल व 01 बोरी धान बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटरबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विशाल कुमार पुत्र चोखे निवासी बोटन पुरवा असरना थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–77/26, धारा 305(ए) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद सोलर पैनल।
02. 01 बोरी धान।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अशोक कुमार।
02. का0 विकास यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.04.2026</u>

<u>मिशन शक्ति फेज–5 (द्वितीय चरण) के तहत एससीपीएम कॉलेज में "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन, छात्राओं को साइबर सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबरों के प्रति किया गया जागरूक–</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद गोण्डा में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं सम्मान को बढ़ावा देने हेतु संचालित मिशन शक्ति फेज–5 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार द्वारा एस0सी0पी0एम0 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड एजुकेशन, गोण्डा के अंतर्गत संचालित एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गोण्डा के भगवान धन्वंतरि सभागार में "बहू–बेटी सम्मेलन" एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्थान के चेयरमैन डॉ. ओ. एन. पांडेय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा छात्राओं को साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे के प्रति सचेत करते हुए उनसे बचाव के प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। छात्राओं को फर्जी कॉल, ओटीपी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु उपलब्ध सेवाओं तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। छात्राओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में बिना झिझक तत्काल सहायता लें और शिकायत दर्ज कराएं। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता संबंधी पम्पलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उप निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा सिंह (प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन), उपनिरीक्षक पूजा वर्मा (एंटी रोमियो टीम प्रभारी), थाना कोतवाली नगर की महिला आरक्षी शिवानी दीक्षित एवं महिला आरक्षी अनुप्रिया सिंह उपस्थित रहीं, जिन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा, कानून संबंधी अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्थान की ओर से चेयरमैन डॉ. ओ. एन. पांडेय, अध्यक्ष श्रीमती अलका पांडेय, निदेशक श्री अजिताभ दुबे, प्रशासक श्री धीरज कुमार दुबे सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने छात्राओं को जागरूक, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया।

<u>जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा इस प्रकार के जागरूकता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>